DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 24 अगस्त 2022 ------DATED------

छह महीने की मेहनत लाई रंग, अब खुशबू ही खुशबू

पहले जहां फेंकते थे कूड़ा, वहां अब बना दिया खूबसूरत गार्डन

■ एनबीटी न्यूज, विकासपुरी

विकासपुरी के एम-ब्लॉक की डीडीए मार्केट में खाली पड़ी जमीन के एक टुकड़े पर पहले जहां लोग कूड़ा डंप करते थे, अब वह जगह आसपास के लोगों की मेहनत से एक खूबसूरत गार्डन के रूप में विकसित हो चुका है। इस जगह पर अब कई तरह के फूल-पौधे लगाए गए हैं। जिसकी देखरेख नियमित रूप से की जा रही है। कोई अब यहां कूड़ा डंप ना कर सके, इसके लिए फेंसिंग भी लगाई गई है।

पहले इस जगह पर लोग कूड़ा डालते थे। इसकी वजह से आस-पास में हमेशा गंदगी का अंबार लगा रहता था, बदबू अधिक होने से कई बार लोगों को यहां से नाक पर कपड़े डालकर निकलना पड़ता था। लेकिन पास में ही रहने वाले प्रोफेसर सुभाष नारंग ने खाली पड़ी तकरीबन 60 गज जमीन को हरा-भरा कर दिया है। वहां पर करीब 20 तरह के पौधे लगाए गए हैं।

विकासपुरी के एम-ब्लॉक में डीडीए की खाली जमीन पर डिवेलप किया गार्डन, सुरक्षा के लिए फैंसिंग भी लगाई

प्रोफेसर सुभाष नारंग ने बताया कि कई सालों से यह जगह खाली पड़ी हुई थी, जिसको लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया था। इसकी वजह से आस-पास का वातावरण प्रदूषित हो जाता था, जिसको देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि इस जगह का सही उपयोग किया जाए। इस काम के लिए पहले अपने खर्च पर यहां से कूड़ा उठवाया। जिसके बाद पौधे लगाने से पहले जमीन को सिंचाई योग्य बनाया गया। फिर यहां बुगन विला, गुड़हल, अशोक, अमलतास, कचनार, मधुमालती, करी पत्ता, नींबू, चीकू, बोतल पाम, शहतूत, अमरूद, अशोक, अनार, नींबू, चीकू जैसे पौधे लगाए। आगे भी इन सभी पौधों की देखरेख नियमित रूप से हो, इसके लिए गार्डनर का सहयोग लिया जाता है।

हिन्दुस्तान

अंदरूनी सड़कें बन रहीं ठिकाना

दिल्ली में बसों के लिए पार्किंग की सबसे ज्यादा किल्लत है। यही वजह है कि राजधानी के मुख्य मार्गों से कॉलोनियों को जोड़ने वाली अंदरूनी सड़कों पर रात होते ही किनारे बसों की पार्किंग होती है। दूसरी सबसे बड़ी जगह अंदरूनी सडकों पर चल रहे सीएनजी पंप व पेट्रोल पंप हैं, जिनके बाहर बसों की पार्किंग की जाती है। इसके अलावा डीडीए की कई खाली जमीनों पर भी बसों की पार्किंग की जाती है। इसमें सीलमपुर में डीडीए की जमीन पर, आईपी एक्सटेंशन के पास डीडीए के रामलीला मैदान के बगल वाले ग्राउंड पर, मयूर विहार की अंदरूनी सड़कों पर निजी बसों के अलावा स्कूली बसों की पार्किंग की जाती है।

पहल | अर्बन हैरिटेज के रूप में विकसित इमारत के परिसर में उसके इतिहास को लेकर भी जानकारी दी जाएगी

शहरी विरासत विकसित कर रहा डीडीए

बदलती दिल्ली

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) देश में पहली बार ऐसा प्रयोग कर रहा है, जिसके तहत कुछ इमारतों को अर्बन हैरिटेज के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली में इस प्रकार की कुल 17 इमारतों को चिन्हित किया गया है।

यहां हो रहा काम

- अजमेरी गेट मदरसा
- आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिबिया कॉलेज
- सेंट मैरीहोम
- हैदरकुली हवेली
- सेंट जेवियर स्कूल भवन

संभवतः पहला प्रयोग

डीडीए अफसरों ने कहा कि संभवतः यह देश में अपने प्रकार का पहला प्रयोग है। अब तक ऐतिहासिक इमारतों को ही संजोने, पुनर्विकास का काम होता रहा है। हम ऐसी इमारतों को संवार रहे हैं, जो मुश्किल से 100 साल पुरानी लेकिन ऐतिहासिक महत्व की हैं।

इन इमारतों में से पांच पर काम भी शुरू हो चुका है। इमारतों को इनके पुराने रूप में विकसित करने के साथ-साथ इन्हें नए आयामों के साथ नया रूप भी दिया जा रहा है। इसमें ज्यादातर इमारतें में ऐसी इमारतें शामिल हैं, जिनका इतिहास 100 साल से कम पुराना है। इन इमारतों के पुनर्विकास के लिए एएसआई की सहायता भी ली जा रही है।

नए-पुराने का संगम देखने को मिलेगा : डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि इन अर्बन हैरिटेज को इस प्रकार पुनर्विकसित किया जाएगा कि इनका पुराना रूप न बिगड़े और नया रूप भी पुराने से मेल खाता हो। साथ ही इन स्थानों पर बैठने की व्यवस्था, नए पार्क-हरियाली और जनसुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

एएसआई इन संस्थानों के पुराने रूप को संजोने और विकसित करने का काम करेगी और डीडीए की ओर से इनके नए रूप को विकसित करने का काम किया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2022

Maintaining monuments under our purview at Mehrauli park, says ASI

DIVYA A
NEW DELHI, AUGUST 23

A DAY after the Delhi High Court reprimanded the Archaeological Survey of India (ASI) for the "pathetic" condition of monuments at Mehrauli Archaeological Park, and asked for a status report, the agency said "it will follow the court's direction in letter and spirit", and submit a status report soon.

Speaking to *The Indian Express* Tuesday, ASI officials said, "There are about 80 monuments in the entire area, out of which only five fall under the purview of the ASI." These include the Mandi Mosque, Balban and Jamali Kamali Tomb, the area between these two tombs, Rajon ki Baoli, and the meeting point of Jahanpanah Qila and Qila Rai Pithora. The agency said there are multiple stakeholders in the area, which include the Delhi state archaeology department and the Delhi Waqf Board, while the park comes under the purview of the Delhi Development Authority (DDA).

While hearing a petition filed by the Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, the court had remarked: "The monuments are in a pathetic state and not being maintained." The court stressed that "it is the duty of ASI to protect and preserve monuments", while directing it to file a status report about all monuments of historical importance in the area.

ASI sources said there is an encroachment issue, but as it is not an "enforcing agency", its role is limited. On its part, ASI officials said, they have been maintaining the five monuments, and if more needs to be done, they will certainly look at it. Asked about other monuments, which may be under other agencies, ASI said, "If any written requests are made to us, we can look at it on case-to-case basis, subject to approval."

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2022 दैनिक जागरण

यमुना को स्वच्छ बनाने की केंद्र सरकार की योजना के आड़े आ रही जमीन

- डीडीए ने वन विभाग को जमीन देने में जताई असमर्थता
- यमुना नदी के किनारे पेड़-पौधे लगाने से पानी होगा साफ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : पेड़-पौधे लगाकर यमुना नदी के पुनरोद्धार की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर अमल के लिए वन विभाग को जमीन नहीं मिल पा रही है। लिहाजा, वन विभाग योजना पर काम शुरू नहीं कर पा रहा है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यमुना सहित 13 प्रमुख नदियों के पुनरोद्धार के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च में जारी की थी। योजना के तहत यमुना के किनारे और इसके आसपास के क्षेत्रों में पेड़-पौधे लगाने से नदी के पानी की गंदगी साफ होगी। योजना के तहत यमुना किनारे रिवर फ्रंट व ईको पार्क भी विकसित किया जाना है। परियोजना के पूरी होने पर मिट्टी का कटाव भी कम होगा। साथ ही यमुना किनारे भूजल रिचार्ज में भी यह योजना मददगार साबित होगी। पल्ला से वजीराबाद तक यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में अधिकांश जमीन निजी स्वामित्व की है। इस भूमि को हासिल करना वन विभाग के लिए आसान नहीं होगा। वजीराबाद से ओखला बैराज के बीच नदी के आसपास की जमीन डीडीए की है।

वजीराबाद से ओखला के बीच 22 किलोमीटर हिस्से पर ही नदी सबसे अधिक प्रदूषित है। अधिकारी कहते हैं कि नदी के इस हिस्से पर विकास के लिए 1,267 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है जिसमें से 402 हेक्टेयर जमीन विभिन्न परियोजनाओं व पौधारोपण के लिए पहले ही दिया जा चुका है। 280 हेक्टेयर जमीन विवादित है, जिसके सीमांकन की प्रक्रिया चल रही है। शेष 585 हेक्टेयर जमीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के तहत नदी के तट पर घास लगाने, सार्वजनिक उपयोग के लिए मनोरंजन क्षेत्र के रूप में विकसित करने आदि के लिए आरक्षित है। इस वजह से डीडीए के अधिकारियों ने वन विभाग को जमीन देने में असमर्थता जताई है। जबकि, जमीन का मुद्दा सुलझने के बाद ही योजना पर अमल संभव हो सकेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---अमर उजाला----DATED---24/8/2022

जमीन उपलब्ध नहीं, यमुना के कायाकल्प की योजना अटकी

अमर उजाला ब्यूरो

भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को जमीन उपलब्ध न होने की बात कही

नई दिल्ली। वानिकी हस्तक्षेप के साथ केंद्र सरकार की यमुना के कायाकल्प को लेकर तैयार परियोजना भूमि मुद्दे पर अटक गई है। डीडीए ने जमीन न होने की बात कही है। इस संबंध में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को जमीन उपलब्ध न होने की बात कही गई है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा यमुना को लेकर 13 नदियों के कायाकल्प को लेकर विवरण रिपोर्ट मार्च में जारी की थी।

केंद्र सरकार के अनुसार, प्रस्तावित गतिविधियों में हरित आवरण को बढ़ाने, मिट्टी के क्षरण को कम करने में मदद करेगी। साथ ही जल स्तर को पुनर्भरण और कार्बन डाइऑक्साइड के पृथक्करण में सहायता मिलेगी।

बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली में यमुना में वजीराबाद बैराज के अपस्ट्रीम में बाढ़ आती है, यह भूमि निजी स्वामित्व की है। ऐसे में इस भूमि का अधिग्रहण आसान नहीं होगा। साथ ही इस जमीन पर दिल्ली सरकार की नजर भूजल रिचार्ज के लिए है। जमीन के इस हिस्से पर गड्ढे बनाकर मानसून में आने वाली बाढ़ के पानी को संरक्षित किया जाएगा, जिससे भूजल को बढ़ाकर दिल्ली में पानी के संकट को खत्म करने में मदद मिलेगी। एक हजार एकड़ जमीन पर ऐसे गड्ढे बनाने की योजना पर काम चल रहा है।

वजीराबाद बैराज से लेकर ओखला बैराज तक यमुना बाढ़ क्षेत्र में डीडीए का अधिकार है। डीडीए के मुताबिक, विकास के लिए नदी किनारे सिर्फ 1,267 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। इसमें से 402 हेक्टेयर विभिन्न परियोजनाओं के लिए पौधरोपण के लिए दी जा चुकी है, जबकि 280 हेक्टेयर भूमि विवादाधीन है और वहां सीमांकन प्रक्रिया चल रही है।

डीडीए के मुताबिक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश के तहत शेष 585 हेक्टेयर भूमि नदी किनारे पौधरोपण के लिए रखी गई है। ओखला बैराज की डाउनस्ट्रीम में बाढ़ के मैदान में भूमि डीडीए और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है। डीडीए के अधिकारी का कहना है कि जब तीन साल पहले इस तरह की योजना तैयार की गई थी तो वन विभाग को जमीन को लेकर जानकारी दी गई थी।

तालाब बनाने से मिट्टी बहने से रुकेगी

वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि परियोजना नदी के वन क्षेत्रों में समोच्च बांध, मिट्टी के चेक बांध, ब्रशवुड चेक बांध, लूजबोल्डर चेक डैम और तालाब आदि बनाने से मिट्टी बहने से रुकेगी व जल संरक्षण होगा, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब भूमि की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे हल हों। इससे पहले वन विभाग ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए नौ हजार हेक्टेयर भूमि की बात कही थी।